



ORIGINAL RESEARCH PAPER

Geography

जैव विविधता एवं संरक्षण (भारत के संदर्भ में)

KEY WORDS:

डॉ. अर्चना भदौरिया

अतिथि विद्वान भूगोल शासकीय महा विद्यालय, ढोढर जिला- श्योपुर (म.प्र.)

प्रकृति विविधताओं से भरी है जिसमें एक सूक्ष्म प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तथा हाथी एवं शूक्ष्म लाईकेन से लेकर विशाल रेडवुड तक के वृक्ष पाए जाते हैं। तथा सभी के साथ रहने को जैव विविधता कहते हैं।

‘जैव-विविधता किसी भी प्रदेश में जीन, प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों को समग्र रूप है।’

—संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यकम (यू.एन.ई.पी.)

1992 ई में रियो डि जेनेरियो में “जैव-विविधता” शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई “जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अन्तःक्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अन्तर और साथ ही उन पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। जैव विविधता एक प्रजाति के अन्दर पायी जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधताओं का सम्मिलित रूप है।

जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1985 में वैज्ञानिक डब्ल्यू.जी.रोजेन द्वारा किया गया यद्यपि संकलनात्मक रूप में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक विल्सन ने 1986 में ‘जैव विविधता’ पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद (एन.आर.सी.) को ‘जैविक विविधता’ की जगह ‘जैव विविधता’ शब्द का सुझाव दिया 1986 से यह शब्द संकलपना के रूप में जैव वैज्ञानिकों, पर्यावरण विदों, राजनीतिज्ञों आदि के द्वारा विस्तृत रूप में अपनाया गया।

विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में भारत भी शामिल हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4 प्रतिशत है जिसमें विश्व की कुल ज्ञात जीव प्रजातियों का 7.8 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है।

जैव विविधता के स्तर पृथ्वी पर विद्यमान जैव विविधता प्रकृति का अनुपम उपहार है। जिससे उसमें नये जीवन का संचार हो रहा है। जैव विविधता को तीन प्रकारों में बांटा जाता है—

1. आनुवांशिक विविधता 2. जाति विविधता 3. समुदाय एवं पारितंत्र विविधता

1. आनुवांशिक विविधता— किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता कहते हैं।

2. प्रजाति विविधता— प्रजाति विविधता का सामान्य अर्थ किसी निश्चित पारिस्थितिक तंत्र के पौधों तथा जन्तुओं की जातियों की किस्मों में होने वाली विविधता है।

भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है हिमाच्छादित तथा मरू प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल हैं।

3. पारितंत्र विविधता— पारितंत्र विविधता के अन्तर्गत जैवीय समुदाय के आवासों तथा निकेतों के प्रकारों, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में क्रियाशील प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं।

जैव विविधता का मानचित्रण जैव विविधता के मानचित्रण का सबसे पहला प्रयास पॉल विलियम्स, डिक वेन राईट तथा किस हम्पिग्न ने किया इन्होंने वर्ड मैप नाम से एक सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसके द्वारा उन्होंने जैव विविधता का मानचित्रण किया।

जैव विविधता का मानचित्रण तीन विधियों से किया जाता है।

1. अल्फा विविधता— अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है। यह विविध क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है।

2. बीटा विविधता— बीटा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पायी जाने वाली प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता है यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर अर्थात् किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश व निकास की दर को प्रदर्शित करती है।

3. गामा विविधता— प्रजातियों के मध्य स्थित अंतः संबंध जो कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है गामा विविधता कहलाता है।

जैव विविधता से लाभ जैव विविधता के निम्नलिखित लाभ हैं—
1. पारिस्थिक तंत्र मानव को भोजन उपलब्ध कराता है।
2. उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है।
3. औषधियों के लिए जड़ी बूटियां मिलती हैं।
4. जैव विविधता जल चक्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
5. देश के बहुमुखी विकास में जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्थान है।
6. देश आत्मनिर्भर होता है, संपन्नता बढ़ती है।
मई 1994 से भारत अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता अभिसमय का सदस्य है।

जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जैव विविधता दिवस व जैव विविधता दशक मानाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसम्बर 2010 में वर्ष 2011–2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया था।

कंजरवेशन ऑफ बायोलोजिकल डायवर्सिटी (सी.वी.डी) के अनुसार पृथ्वी पर प्रजातियों की संख्या लगभग 3 मिलियन से 100 मिलियन के बीच में है।

भारत वर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु वनस्पति भू आकृति आदि विद्यमान है अफ्रीका के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जैव उद्विकास और वन्यजीवन के लिए आवश्यक विविधताएं पाई जाती हैं।

भारत में मुख्य रूप भारतीय, मलायन, इथोपियन, यूरेशियन, आदि वन्य जीवों का मिश्रण मिलता है भारतीय जैव विविधता को चार भागों में बांटा जा सकता है।

1. भारतीय जैव विविधता— प्रायद्वीपीय, पठारी क्षेत्रों में जहां सघन वन पाये जाते हैं वहां भारतीय जैव विविधता पायी जाती है।

2. मलायन जैव विविधता— पूर्वी हिमालय की घाटियों में जहां सघन वन पाये जाते हैं वहां मलायन जैव विविधता पायी जाती है।

3. इथोपियन जैव विविधता— राजस्थान तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में जहां शुष्क वातावरण है वहां इथोपियन जैव विविधता पायी जाती है।

4. यूरेशियन जैव विविधता— हिमालय का वह भाग जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है वहां यूरेशियन जैव विविधता पायी जाती है।

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जीयोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया जेड.एस.आई) तथा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बोटनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया—बी०एस०आई) जीव वैज्ञानिकों ने भारतीय जैव विविधता को तीन भागों में बांटा है—

- हॉटस्पॉट
- समुद्री जैव विविधता
- जैव भौगोलिक क्षेत्र

1. भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र— हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र शब्द का प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिक विद् नार्मन मार्यस ने 1998 में किया उन्होंने बताया कि जहां स्थानीय जातियों की अनुपातिक दृष्टि से अधिकता पायी जाती है और वहां इन जातियों के लिए जीवन का संकट बना हुआ है। वहां जीव जातियां तो बहुतायत से मिलती हैं लेकिन आवासों का विनाश हो रहा है। फरवरी

2016 तक विश्व में 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र थे जिनका विस्तार विश्व के 2.3 प्रतिशत क्षेत्रफल पर है यहाँ विश्व की 60 प्रतिशत प्रजातियाँ पायी जाती हैं विश्व के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से चार भारत में स्थित हैं भारत का प्रथम हॉटस्पॉट हिमालय क्षेत्र, दूसरा इण्डोवर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका तथा चौथा सुण्डालैंड है।

विश्व जैव विविधता में भारत

जन्तु/प्राणी वर्ग	विश्व में प्रजातियों की संख्या	भारत में प्रजातियों की संख्या (विश्व का प्रतिशत)
स्तनपायी	5416	423(7.81 प्रतिशत)
पक्षी	9026	1233(13.66 प्रतिशत)
सरीसृप	9230	526(5.7 प्रतिशत)
उभयचर	6771	342(5.05 प्रतिशत)
कुल	1399189	92873(6.64 प्रतिशत)

स्रोत- जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (2014)

2. समुद्री जैव विविधता क्षेत्र- भारत की समुद्री तटीय सीमा 7516.6 कि. मी. है, भारत का एक बहुत लंबा क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में मैंग्रोव, एश्चुरी तथा प्रवाल भित्तियाँ पायी जाती हैं। भारत में जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पायी जाती हैं जिसके कारण यहाँ समृद्ध जैव विविधता पायी जाती है।

3. जैव भौगोलिक क्षेत्र- जैव भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य जीव जन्तुओं तथा वनस्पतियों को उनकी समानता तथा विशमता के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र को निश्चित करने से है। प्रजातियों एवं पारितंत्र में भिन्नता का कारण भौगोलिक क्षेत्र, अक्षांशों की प्रवणता तथा आवास की पर्यावरणीय दशाओं में बदलाव होना है। देश की भिन्न-भिन्न पारिस्थितिक व्यवस्थाओं में जलवायु की दशाएँ भू-आकृतिक संरचना वानस्पतिक आवरण अलग अलग है। जिस कारण भारत में जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है-

1. ट्रांस हिमालय
2. हिमालय क्षेत्र
3. मरुस्थल
4. अर्द्ध शुष्क क्षेत्र
5. पश्चिमी घाट
6. दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र
7. गंगा का मैदान
8. उत्तर पूर्व क्षेत्र
9. तटीय क्षेत्र
10. द्वीपीय क्षेत्र

जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ

वर्ष 1964 से प्राकृतिक संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर-आई.यू.सी.एन) द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तर जीवित्वा आयोग के सहयोग से लाल सूची जारी की जाती है जो ऐसे वर्गों की सूची होती है जो विलुप्त होनी की कगार पर हैं।

जून 2012 में आई.यू.सी.एन. द्वारा वर्ष 2012 की संकट ग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकट ग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है इस सूची में सोनविरैया या महान भारतीय सारंग, साईबेरियन सारस, स्लेटी टिटहरी, कश्मीर का रेड स्टेग, दक्षिण भारत के वर्षा वनों और सोलाज में रहने वाले सिंघ पुंछी बंदर आदि अति संकट ग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग, एशियाई वन्य गधा संकट की नजदीक श्रेणी में जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, गंगा डॉलफिन को भी संकटग्रस्त श्रेणी में सन् 2017 में इरावती डॉलफिन को भी आई.यू.सी.एन की रेड लिस्ट सूची में शामिल किया गया है।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीनस्थ अभिकरण 'भारतीय प्राणी सर्वेक्षण' के 'एनाविस सेंटर ऑन फौनल डॉयवर्सिटी' के वेब पेज पर प्रदर्शित सूची के अनुसार कुछ जानवरों के खतरे की स्थिति-

1. सुनहरे लंगूर- विलुप्त प्राय
2. एशियाई जंगली कुत्ते- विलुप्त प्राय
3. हरलॉक गिबबन- विलुप्त प्राय
4. मरुस्थलीय बिल्ली- कम खतरे में

जैव विविधता हास के कारण

जीवीय प्रजातियों का विलोपन एवं नयी प्रजातियों का प्रादुर्भाव एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती है लेकिन वर्तमान में जैव विविधता के क्षरण का कारण मानवीय हस्तक्षेप है- औद्योगीकरण, वैश्विक तापन, विदेशी जातियों का संक्रमण, नगरीकरण, कृषि का विज्ञानीकरण तथा जनसंख्या के विस्फोट आदि के कारण सत्तर वर्षों के अन्तराल में जैव विविधता को काफी क्षति पहुंची है जैव विविधता हास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है-

1. प्राकृतिक कारण
2. मानवीय कारण

प्राकृतिक कारण

1. ज्वालामुखी उद्गार
2. महाद्वीपीय विस्थापन
3. जलवायु परिवर्तन
4. बाढ़ एवं सूखा
5. महामारी

मानवीय कारण

भारत की बढ़ती आबादी के कारण पक्षियों की संख्या में गिरावट आ रही है। वन विनाश, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के आर पार सड़क एवं रेल मार्गों का निर्माण, उत्खनन कार्य, उद्योगों की अवस्थिति, पहाड़ी एवं घने वातावरण वाले क्षेत्रों में होकर प्रवाहित होने वाली नदियों पर बांधों के निर्माण के कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है जिससे जैव विविधता में कमी आती है।

जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ

आज भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के लिए जैव विविधता संकट एक गंभीर समस्या बन गई है जीव प्रजातियों एवं जातियों के अनवरत नष्ट होने की प्रक्रिया जैव विविधता क्षरण कहलाती है जैव विविधता जल, वायु एवं मृदा की तरह एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जिसका नष्ट होना पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है भौतिक अथवा पर्यावरण संसाधनों का जितना अधिक प्रयोग किया जायेगा समाज का भौतिक विकास अधिक होगा लेकिन समाज के भौतिक विकास के साथ साथ जैव विविधता का विनाश भी होगा।

वर्तमान समय में पादप एवं प्राणियों की जातियों के संरक्षण का काफी प्रयास किया जा रहा है जैव विविधता संरक्षण दो विधियों से किया जाता है-

1. स्वस्थाने संरक्षण या प्राकृतिक आवासों में संरक्षण
2. बाह्य स्थाने संरक्षण या प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण

1. स्वस्थाने संरक्षण या प्राकृतिक आवासों में संरक्षण- जीव और वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षित करना स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। इस तरह के संरक्षण में पौधों एवं जन्तु प्रजातियों को विशेष रूप से बनाये गये प्राकृतिक आवासों में रखा जाता है जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडलीय रिजर्व आदि आते हैं लेकिन इसमें वानस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है।

भारत के संरक्षित क्षेत्र

वर्ष	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या	वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या	समुदाय आगार की संख्या	संरक्षण आगार की संख्या	जैव मंडल रिजर्व की संख्या
2017	103	544	—	76	18
2019	105	553	163	86	18

स्रोत- नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटा बेस 2019-20

2. बाह्य स्थाने संरक्षण या प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण- संरक्षण के पर स्थाने संरक्षण के अन्तर्गत वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर संरक्षण स्थल, जिन, परगण, बीज, पौधा, ऊतक संवर्धन एवं डी.एन.ए बैंक को शामिल किया जाता है आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण सामान्य वृद्धि दशाओं में क्षेत्रीय जिन बैंकों में किया जाता है प्रयोगशाला में संरक्षण विशेष रूप से द्रवीय नाइट्रोजन में -1960 सेंटिग्रेट पर किया जाता है।

भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

वन्य जीव की श्रेणी में सभी गैर पालतू जीव आते हैं, जिनके संरक्षण के लिए समय-समय पर कई नियम तथा कानून पारित किए गए हैं-

1. मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रीजर्वेशन एक्ट, 1873
2. असम राइनोसोरस प्रीजर्वेशन एक्ट, 1954
3. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, संशोधित, 1983, 1986, 1991
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
5. जैव विविधता अधिनियम, 2002

जैव विविधता अधिनियम 2002

भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम "दिसंबर 2002" को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी इसका मुख्यालय चेन्नई (तमिलनाडू) में स्थित है।

भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून केन्द्र की स्थापना चेन्नई (तमिलनाडू) में की है। जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यवसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972

भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैविक विविधता कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार की गई जिसके अंतर्गत सन् 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्ययोजना (2002-16)

राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्ययोजना वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। वन्य जीवन अधिनियम में वन्य जीवन संरक्षण और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रावधान हैं।

भारत में वन्य जीवन संरक्षण योजनाएं

1. बाघ संरक्षण परियोजना- भारत में पहली बाघ गणना सन् 1972 में की गई थी भारत में बाघ की लुप्त हो रही बाघ की प्रजाति की सुरक्षा व उसके संवर्धन के लिए अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना का शुभारम्भ जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया अब तक देश में कुल 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 'नागार्जुन सागर-श्री शैलम्' अभयारण्य (3296 वर्ग किमी/ आन्ध्रप्रदेश) है। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का नन्दन कानन प्रसिद्ध है। बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया।

2. हाथी संरक्षण योजना- हाथी सम्पूर्ण एशिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है हाथी के दांतों से विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा खिलोने बनते हैं जिससे इनका अवैध शिकार होता है इस कारण हाथियों की संख्या में गिरावट आ रही है। हाथियों की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1992 में 'गजमते' नाम से एक परियोजना की शुरुआत की गई वर्तमान में यह परियोजना 16 राज्यों में संचालित है। हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2010 में केन्द्र सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में एशियाई हाथियों को संकटग्रस्त सूची में रखा गया है

3. गिद्ध संरक्षण योजना- गिद्धों की संख्या में आ रही भारी गिरावट को देखते हुए गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत 2006 में की गई जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के पहले 'जिप्स गिद्ध पुनरोद्धार' कार्यक्रम की शुरुआत की गई कार्यक्रम की शुरुआत पिंजौर हरियाणा के 'जटायु प्रजनन एवं संरक्षण' केन्द्र से की गई। सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए डिवलोफेनिक दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं।

4. गिर सिंह परियोजना- "एशियाई सिंहों का घर" की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 कि.मी. क्षेत्र में स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई सिंह पाए जाते हैं। आई.यू.सी.एन. ने कभी पूरे मध्य एशिया में फँसे इन शेरों को विलुप्त हो रही प्रजाति की सूची में शामिल किया है।

5. हांगुल परियोजना- इस परियोजना का शुभारम्भ 1970 में किया गया हांगुल यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का प्राणी है यह दुनिया के सभी हिस्सों से विलुप्त हो चुका है। अब यह केवल कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह कश्मीर राज्य का राजकीय पशु भी है। यह जीव आई.यू.सी.एन. के रेड डाटा सूची में शामिल है।

6. कछुआ संरक्षण परियोजना- दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति 'ऑलिव रिडले' है जो उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है। ऑलिव रिडले की घटती संख्या को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने इसकी संरक्षण की योजना की शुरुआत 1975 में की।

7. धुर्वीय तेंदुआ संरक्षण परियोजना- उच्च अक्षांशों में रहने वाले बर्फीले तेंदुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट धुर्वीय तेंदुआ' की शुरुआत 2009 में की गई इस परियोजना में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्ताखण्ड एवं सिक्किम राज्य को शामिल किया गया है।

8. गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना- भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। डॉल्फिन मछलियों की घटती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने इनके संरक्षण तथा इस पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पटना विश्वविद्यालय में एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संरक्षित प्रजाति घोषित किया है।

हमारे गृह की पारिस्थितिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है समृद्ध जैव विविधता स्वस्थ पर्यावरण की निशानी है यह मानव सभ्यता के विकास की स्तम्भ है। इसका संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैव विविधता के द्वारा ही हमें भोजन, वस्त्र, औषधि, ईंधन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है इसके अतिरिक्त यह हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ सूखा आदि से बचाती है वास्तव में जैव विविधता प्रकृति की सम्पत्ति है और यदि इसका क्षरण होता है तो हमें इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए प्रकृति की रक्षा करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्योंकि समृद्ध जैव विविधता ही वह आधार है जो हमारे गृह को रहने लायक बनाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शिव कुमार ओझा- "सामान्य अध्ययन विशेषांक: पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" 2019-20 बौद्धिक प्रकाशन श्रीराम भवन देवनगर प्रतिष्ठान पुरी प्रयागराज (उ.प्र.)।
2. संजीव कुमार- "सामान्य अध्ययन: पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" 2019 न्यू बाईपास रोड, आशोचक पटना (बिहार)।
3. सम-सामयिक घटनासचक- "पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी" 2020, 188ए/128एल.एन गंज, चर्चलेन, प्रयागराज(उ.प्र.)।
4. सविन्द्र सिंह- "भौतिक भूगोल का स्वरूप" 2020, प्रयाग पुष्पक भवन 20-ए यूनीवर्सिटी रोड प्रयागराज(उ.प्र.)।
5. माजिद हुसैन- "भारत एवं विश्व का भूगोल" 2018, एम.सी. ग्रा हिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड।
6. राजेश कुमार सिंह- "सामान्य अध्ययन भारत का भूगोल" 2015, लूसेंट पब्लिकेशन, न्यू बाईपास रोड, आशोचक पटना (बिहार)।
7. महेश कुमार वर्णवाल- "भूगोल एक समय अध्ययन" 2011 कॉसमॉस पब्लिकेशन एफ-64 गली नं.-6 बजीराबाद(दिल्ली)।